कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक – 64 दिनांक – 30.11.2024

–: कार्यालय आदेश :–

मैं, **सुरेन्द्र चौधरी,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर एतद्द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक–Gen-/XIX/Misc./2000/911/718, Dated-01.06.2001 की पालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके नाम में अंकित तिथि को **माह दिसम्बर, 2024 तथा जनवरी, 2025** में आवश्यक दाण्डिक कार्य यथा रिमाण्ड, ज़मानत, धारा 164 दं.प्र.सं. / 183 बी.एन.एस.एस. के बयान, मर्ग जाँच एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में उपस्थित होकर (समय 11:00 ए.एम. से 01:30 पी.एम. तक) तथा उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन व धारा 52–ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत इन्वेन्ट्री हो, तो उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करता हूँ :–

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय
01.	01.12.2024	श्री रणवीर चौधरी	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण), सं. 07, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
02.	08.12.2024		
03.	14.12.2024	श्री चंदन भाटी	न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 09, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
04.	15.12.2024		
05.	22.12.2024	श्रीमती रजनी यादव	न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
06.	25.12.2024	श्री किशन सान्दू	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण), सं. 01, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
07.	28.12.2024	श्री आशुतोष जांगिड़	न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 03, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
08.	29.12.2024		
09.	01.01.2025	श्री योगेश कुमार	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण), सं. 04, जोधपुर महानगर, जोधपुर।

<u>नोट – उक्त कार्य के अलावा अन्य आवश्यक कार्य हेतु निम्न अधिकारी मुख्यालय पर रहेंगे :–</u>

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय
01.	01.12.2024	श्री मनोज जीनगर	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 07, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
02.	08.12.2024		
03.	14.12.2024	श्रीमती राधिका सिंह चारण	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर, जोधपुर।
04.	15.12.2024		
05.	22.12.2024	श्रीमती सीमा सान्दू	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 09, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
06.	25.12.2024	श्री प्रताप सिंह राठौड़	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 04, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
07.	28.12.2024		
08.	29.12.2024	श्री राजीव जांगिड़	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
09.	01.01.2025		

रिमाण्ड प्राधिकृत किए जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपर्युक्तानुसार दाण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किए गए रिमाण्ड मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उस न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुलजिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबंधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट – (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उन्हीं अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर पेश करने पर थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुलजिम को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न करवाकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

30/11/24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर महानगर जोधपुर